तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 10 / 2024 अनवान पप्पू भाई बनाम दानाराम वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
05/12/24	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, 209 एवं 188, के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा राणीगांव कला पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 428 रकबा 5.6008 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 642 / 519 रकबा 3.7150 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 01 व 02 के पिता एवं पति खेताराम उर्फ शैतानसिंह के आवगी खातेदारी की भूमि थी, प्रार्थी के पिता ने प्रथम विवाह विप्रार्थी सं0 02 से किया था, जिससे विप्रार्थी सं0 01 का जन्म हुआ तत्पश्चात प्रार्थी के पिता द्वारा गुजरात में मजदूरी के दौरान दूसरी शादी प्रार्थी की माता रम्भाबैन से की गई, जिससे प्रार्थी का जन्म हुआ। गुजरात में मजदूरी के दौरान प्रार्थी का पिता शैतानसिंह के नाम से जाने पहचाने लगे थे। दिनांक 29.03.2015 को प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण सं0 264 दिनांक 01.05.2018 को केवल विप्रार्थी सं0 01 व 02 के नाम से स्वीकृत किया, जबकि मृतक खेताराम उर्फ शैतानसिंह की दूसरी पत्नी से जांयदा पुत्र प्रार्थी का नाम पीछे छौड़ दिया। प्रार्थी मृतक खेताराम उर्फ शैतानसिंह की दूसरी पत्नी से जांयदा पुत्र होने से प्रार्थी का नाम भी विप्रार्थी सं0 01 व 02 के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था। इस प्रकार प्रार्थी का उसके पिता की वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 01 व 02 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 01 व 02 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वर्त[illegible] नाम राजस्व अधिकारियों की भूल [illegible] राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर बे[illegible] हक व हिस्सो से वंचित करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 01 व [illegible] अन्य लोगों के दबाब मे आकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सों से वंचित करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर भूमि का बेचान करने में सफल	
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:03:32 IST
Reason: SelfAttested

होते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण मौजा राणीगांव कला पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 428 रकबा 5.6008 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 642/519 रकबा 3.7150 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बेचान न करें तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तामिल है, कोई हाजिर नहीं। लिहाजा एकतरफा। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहूचे है कि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि का हस्तान्तरण करते हुए प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तेक्षप कर संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का बेचान किसी अन्य को किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा राणीगांव कला पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 428 रकबा 5.6008 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 642/519 रकबा 3.7150 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की हस्तक्षेपजी नही करे तथा न ही बैचान करें। मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:03:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर